दिल्ली उच्च न्यायालय

सं॰2413 /डी.एच.सी/गजट/जी-2/2011

दिनांक : 1,जुलाई , 2011

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण के नोटिस में यह लाया जाता है कि रा॰रा॰क्षे॰ दिल्ली सरकार, विधि, न्याय एवं विधायी मामले विभाग (जैसा कि निम्न परिशिष्ट में प्रदर्शित है) के द्वारा जारी अधिसूचना सं॰ एफ॰ 6/13/2011 - Judl./Suptlaw/721-725, दिनांक 14.6.2011 के द्वारा मानव अधिकारों

(निरंतर....)

के उल्लंघन से उत्पन्न हुए अपराधों के विचारण हेतु मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत दिल्ली के प्रत्येक जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-01 के न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

आदेशानुसार
वेद प्रकाश वैश्य
01/7/11
(वी. पी. वैश्य)
महानिबंधक

(निरंतर ----)

परिशिष्ट

(रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. एफ. 6/13/2011 - Judl./Suptlaw/721-725 दिनांक 14.6.2011)

"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विधि, न्याय एवं विधायी मामले विभाग) 8वीं मंजिल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, इ. प्र. इस्टेट, नई दिल्ली - 110002.

अधिसूचना

सं. एफ. 6/13/2011 - Judl./- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस सम्बंध में

(निरंतर.....)

उनको समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों के अनुसरण में, उपराज्य पाल, रा०रा०क्षे० दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से प्रत्येक जिले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-01 के न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं।

आदेशानुसार एवं
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
दिल्ली के उपराज्यपाल के
नाम में

हस्ता०/-

(तरूण सहरावत)
अति० सचिव (विधि, न्याय एवं वि०मा०)

सं० एफ० 6/13/2011 - Judl./ Suptlaw/ 721-725
दिनांक 14.6.2011"